निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -32/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खनन अधिकारी हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला खनन अधिकारी हरिद्वार के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आशीष सिंह, ले0प0 व श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.06.17 से 22.06.17तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री डी0के0श्रीवास्तव एवं श्री अजय कुमार मश्रा सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 22.08.2016 से 31.08.2016 तक श्री अमर नाथ साहू लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2014 से 03/2016 तक लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - सम्पूर्ण जनपद हरिद्वार

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	842.54
2015-16	924.83
2016-17	1347.76

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन: गैर स्थापना व्यय को राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई A श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव (खनन) – अपर सचिव/निदेशक – अपर निदेशक

|

संयुक्त निदेशक खनन – संयुक्त निदेशक भूविज्ञान – रसायनक

| | | |

उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधि°- खान अधि° उपनिदेशक भूविज्ञान- सहायक भूविज्ञान सहा° रसायनज्ञ- प्रा° सहा°रसायनज्ञ

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **सम्पूर्ण हरिद्वार से खनन का राजस्व प्राप्ति** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खनन अधिकारी हरिद्वार,** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह03/17 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्ययः माह ..... को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-II 'अ'

प्रस्तर 01-खनिज भण्डारण हेतु निर्धारित शुल्क जमा न कये जाने से राजस्व क्षति 168.00 लाख

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-1,अ धसूचना संख्या-96/VII-1/2016/158-ख/2004 देहरादून, 22 जनवरी, 2016 के नियम-2(1) (ट) के अनुसार जनपद हरिद्वारका सम्पूर्ण भाग मैदानी क्षेत्र खनिज भण्डारण हेतु 1000 घनमीटर तक के लये आवेदन शुल्क 0.60 लाख (साठ हजार) तथा इससे अ धक क्षेत्रफल एवं मात्रा हेतु प्रत्येक 1000 घनमीटर या उसके भाग पर अतिरिक्त ₹0.60 लाख आवेदन शुल्क देय होगा।

कार्यालय **जिला खनन अधिकारी हरिद्वार के अभिलेखों** नमूना लेखा परीक्षा मे खनिज भण्डारण पत्राव लयो की जांच मे निम्न तथ्य संज्ञान मे आये-

1. उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-1, कार्यालय ज्ञाप सं0- 480/VII-I/82-भण्डारण /2015 देहरादून दिनांक 31 मार्च 2016 के द्वारा आवेदक मैसर्स नीरज स्टोन क्रेशर, रानीपुर आल ज्वालापुर चुंगी, तहसील व जनपद हरिद्वार को ग्राम रानीपुर परगना ज्वालापुर, तहसील व जनपद हरिद्वार मे एक समय मे 10000 घनमीटर तथा Rolling stock 32,000 घनमीटर उपखनिजों के भण्डारण हेतु उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2015 यथासंशो धत दिनांक 22.01.2016 के प्रा वधानुसार जून, 2016 तक की अव ध हेतु अनुमति प्रदान की गई थी।

   नियमानुसार 32,000 धनमीटर उपखनिजों के भण्डारण हेतु 19.20 लाख (32000X60000/1000) का आवेदन शुल्क देय था, जब क पत्रावली में उक्त धनरा श का चालान संलग्न नही था और न ही मांगे जाने पर उपलब्ध कराया गया।

2. श्री साई स्टोन इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री आशीष बंसल द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को खनिज भण्डारण हेतु 500/- के चालान सहित आवेदन कया गया एवं दिनांक 10 मई, 2016 को खनिज भण्डारण शुल्क 1.20 लाख चालान द्वारा जमा कया गया तथा जिला धकारी, हरिद्वार द्वारा आवेदन करने के दिनांक से 27 जुलाई, 2020 तक की अव ध हेतु 2,50,000 घनमीटर खनिज के भण्डारण की अनुमति प्रदान की गयी थी।

नियमानुसार 2,50,000 घनमीटर उपखनिजों के भण्डारण हेतु 150.00 लाख (2,50,000घनमीटर X0.60 लाख/1000) का आवेदन शुल्क देय था, जब क आवेदन कर्ता द्वारा भण्डारण हेतु शुल्क मात्र 1.20 लाख जमा कया गया था। अत: 148.80 लाख आवेदन शुल्क के रुप मे और आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए उत्तर दिया क प्रकरण उच्च अ धकारियों को प्रे षत कर तथा उनका मार्ग दर्शन प्राप्त कर उ चत कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण शासन के संज्ञान मे उ चत /आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

भाग 2'ब'

प्रस्तर 02:- स्टोन क्रेशरों का वनिय मतिकरण शुल्क तथा नवीनीकरण वा र्षक शुल्क जमा न कये जाने से राजस्व क्षति 149.00 लाख

उत्तराखण्ड शासन औद्यो गक वकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 1758/VII-1/16/68-रिट /08 देहरादून दिनांक 19 नवम्बर, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग पलान्ट, हाट मक्स प्लान्ट, रे ड मक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 प्रख्या पत की गई थी। नीति के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार थे-

1(2)- यह तुरन्त प्रवृत्त होगी

2(ज)- मैदानी क्षेत्र के अन्तर्गत जिला हरिद्वार का सम्पूर्ण भाग सम्मि लत था।

5(ड)- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा वा र्षक शुल्क जमा न करने की दशा मे तैयार माल के परिवहन हेतु संबं धत जनपद के खान अ धकारी द्वारा ई प्रपत्र "जे" जारी नही कया जाना था।

9- पूर्व से स्था पत/संचा लत स्टोन क्रेशर /स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वा मयों की इस नीति की घोषणा के बाद 15 दिन के भीतर अपने प्लान्टों की क्षमता टन प्रति घन्टा के अनुसार घो षत करना आवश्यक था।

घो षत प्लान्ट की क्षमता के अनुसार प्लान्ट का वनियतिकरण जिला धकारी एवं निदेशक भूत्तव एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा कया जाना था।

वनिय मतिकरण शुल्क की गणना घो षत क्षमता के आधार पर नीति के अध्याय-II के अनुसार की जानी थी।

इस रा श मे से प्लान्ट स्वामी द्वारा जमा कराये गये आवेदन पत्र शुल्क को घटाये जाने के पश्चात अवशेष धनरा श का 50 प्रतिशत धनरा श निर्धारित लेखाशीर्ष 0853 असौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग मे जमा करना था।

नीति की घोषणा के एक माह बाद ई-प्रपत्र "जे" केवल वनिय मत प्लान्ट को ही जारी कये जाने थे।

अध्याय के अनुसार मैदानी क्षेत्र के स्टोन क्रेशर हेतु आवेदन शुल्क 10.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रति घण्टा तक) एवं 2.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त) था।

अध्याय-III के अनुसार स्टोन क्रेशर हेतु वा षक शुल्क अध्याय-II मे निर्धारित आवेदन शुल्क का 25 प्रतिशत था तथा यह धनरा श प्लान्ट स्वामी के द्वारा निर्धारित लेखा शीर्ष 0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग मे जमा कराया जाना था।

कार्यालय जिला खनन अ धकारी, हरिद्वार के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा मे दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अव ध मे संचा लत स्टोन क्रेशरों की सूची (अनुलग्नक-1) के अनुसार पूर्व मे संचा लत 21 स्टोन क्रेशरो को नवीनीकरण वा षक शुल्क 54.00 लाख जमा कया जाना अवशेष था।

उक्त के अतिरिक्त संचा लत 20 स्टोन क्रेशरो को वनिय मतीकरण शुल्क 95.00 लाख जमा कया जाना अवशेष था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बतलाया क वर्तमान मे जमा का प्रमाण कार्यालय मे उपलब्ध नही है।

अत: स्टोन क्रेशरों का वनिय मतिकरण शुल्क तथा नवीनीकरण वा षक शुल्क जमा न कये जाने से हुई राजस्व क्षति 149.00 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

अनुलग्नक-1

जिला धकारी कार्यालय से प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 के मध्य संचा लत स्टोन क्रेशरो की सूची

क्रम सं0	स्टोन क्रेशर का नाम	स्टोन क्रेशर की क्षमता (प्रति घण्टा)	स्टोन क्रेशर की अनुमति की वैधता अव ध	जमा आवेदन,नवीनीकरण शुल्क	वनिय मतीकरण शुल्क (10.00 लाख - जमा शुल्क का 50%)	दिनांक 19.11.2016 के अनुसार आवेदन शुल्क	दिनांक 19.11.2016 के अनुसार नवीनीकरण शुल्क (आवेदन शुल्क का **25%**)
1	मै0 इण्डिया स्टोन क्रेशर दौलतपुर हजरतुर उर्फ बुधावाशहीद	25	24.10.2013 से 23.10.2018	50,000	475000	10.00 लाख	2.50 लाख
2	मै0 जी नवाज स्टोन क्रेशर बुधवाशहीद	25	19.12.2013 से 18.12.2018	50,000	475000	10.00 लाख	2.50 लाख
3	मै0देव भू म स्टोन क्रेशर बन्जारेवाला	25	03.09.2014 से 02.09.2019	50,000	475000	10.00 लाख	2.50 लाख
4	लक्ष्मी स्टोन क्रेशर ग्राम-बंजारेवाला	25	02.12.2014से 01.12.2019	50,000	475000	10.00 लाख	2.50 लाख
5	मै0 हरिद्वार ग्रट स्टोन क्रेशर शहीदवाला ग्रान्ट	25	04.09.2015 से 03.09.2020	50,000		10.00 लाख	2.50 लाख
6	श्री बाबा जी स्टोन क्रेशर भोगपुर	25	27.05.2014 से 26.05.2019	50,000	475000	10.00 लाख	2.50 लाख
7	मै0 इन्डेवर स्टोन क्रेशर सजनपुर पीली	50	05.07.2013 से 04.07.2018	50,000	475000	10.00 लाख	2.50 लाख

8	श्री जी स्टोन क्रेशर भोगपुर	40	21.12.2013 से 20.12.2018	50,000	475000	10.00 लाख	2.50 लाख
9	मै0 श्री लक्ष्मी नारायण स्टोन क्रेशर शाहपुर-शीतलाखेड़ा	50	18.11.2013 से 17.11.2018	50,000	475000	10.00 लाख	2.50 लाख
10	मै0 वर्दी वशाल स्टोन क्रेशर द्वारा श्री अ मत भारद्वाज	20	24.02.2014 से 23.02.2019	50,000	475000	10.00 लाख	2.50 लाख
11	मै0 नटराज स्टोन इण्डस्ट्रीज वशनपुर	30	22.05.2015 से 21.05.2020	50,000	475000	10.00 लाख	2.50 लाख
12	मै0 तेजस स्टोन क्रेशर भोगपुर	40	15.06.2014 से 14.06.2019	50,000	475000	10.00 लाख	2.50 लाख
13	मै0 सेन्चुरी पार्क स्टोन क्रेशर भोगपुर तहसील व जिला हरिद्वार	8**3**	31.07.2015 से 30.07.2017	50,000	475000	10.00 लाख	2.50 लाख
14	मै0 एस 0 आर0 स्टोन क्रेशर वशनपुर, झरड़ा	100	19.05.2015 से 18.05.2020	50,000	475000	10.00 लाख	2.50 लाख
15	मै0 कुमार स्टोन क्रेशर हरदेवपुर सहदेवपुर उर्फ रानी मजरा	20	31.07.2015 से 30.07.2020	50,000	475000	10.00 लाख	2.50 लाख
16	मै0 श्री साई स्टोन इण्डस्ट्रीज कटारपुर	30	28.07.2015से 27.07.2020	50,000	475000	10.00 लाख	2.50 लाख
17	मै0 मां गंगा स्टोन क्रेशर वाडीटीप	20	26.10.2015 से 25.10.2020	50,000	475000	10.00 लाख	2.50 लाख
18	मै0श्री राम स्टोन क्रेशर	40	28.03.2016 से	50,000	475000	-	-

	(इं डया) शाहपुर, शीतलाखेड़ा		27.03.2021				
19	मै- सद् ध वनायक माईन एण्ड मनरल्स, भोगपुर	120	04.09.2015 से 03.09.2020	50,000	475000	10.00 लाख	2.50 लाख
20	मै0 महालक्ष्मी स्टोन क्रेशर भोगपुर	200	28.07.2015से 27.05.2020	50,000	475000	10.00 लाख	2.50 लाख
21	मै0 आर0के0त्यागी एण्ड कम्पनी, भोगपुर	200	30.07.2015 से 29.07.2020	50,000	475000	**12** लाख	3 लाख
22	ओम साई राम इण्स्ट्रीज ग्राम रानी माजरा, लक्सर रोड	15	05.09.2014 से 04.09.2019	50,000	475000	10.00 लाख	2.50 लाख
23							

भाग-II 'ब'

प्रस्तर 01-रायल्टी न जमा कये जाने से राजस्व क्षति 148.16 लाख

उत्तराखण्ड उप खनिज नियमावली 2001 (संशो धत 2011) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश सं0-736/VII-I/57-59/2013 दिनांक 03 अप्रैल 2013 की सम्पूर्ण औपचारिक्ताओं को पूर्ण करने के उपरान्त तथा शासन से स्वीकृत प्राप्त कर जिला धकारी महोदय द्वारा निजी नाप भू म मे खनन/ुगान के लये 3(तीन) खनन पट्टा धारको को दिनांक 05.10.15, 08.10.15 एवं 28.11.2015 को पांच वर्षो के लये आदेश निर्गत कया गया था। ववरण अनुलग्नक मे व र्णत है।

निजी खनन पट्टा धारको (तीनों के) की पत्रावली एवं पंजिकाओं की जांच मे पाया गया क मेसर्स सतनाम संह एवं मेसर्स अरजिंदर संह द्वारा मात्र प्रतिभूति जमा एवं एक मा सक अ ग्रम कस्त जमा कया गया था एवं उक्त के उपरान्त माह 03/2017 तक का 15 मा सक कस्त (वर्षा ऋति माह जुलाई, अगस्त एवं सतम्बर (प्रति वर्ष) को छोड़कर) सम्प्रेक्षा ति थ तक जमा नही कया गया था तथा मेसर्स ना सर अली द्वारा जमा करने के उपरान्त चार और अतिरिक्त कस्त जमा कया गया था। इस प्रकार तीसरे पट्टा धारक द्वारा माह 03/2017 तक कस्त (वर्षा ऋतु माह जुलाई अगस्त सतम्बर (प्रति वर्ष) को छोड़कर) सम्प्रेक्षा ति थ तक जमा नही कया गया था तथा पत्रावली मे पट्टा धारक बन्द था या नही का भी कोई अ भलेख नही था इस प्रकार तीनो पट्टा धारको द्वारा कई माहो का मा सक कस्त जमा न कये जाने से 1,48,15,875/- की राजस्व हानि हुई तथा उक्त पर जमा करने की ति थ तक ब्याज भी देय होगा।

उक्त क मयों के संबंध मे इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा आकड़ो एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुए उत्तर मे बताया गया क खनन पट्टा कस-कस समय बन्द रहा, का कोई सूचना/अ भलेख पत्रावली मे नही है तथा खनन पट्टा बन्दी के दौरान छूट के प्रावधान की कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नही है। एवं जिला धकारी महोदय के माध्यम से वसूली की कार्यवाही की जा रही है वर्तमान समय तक कोई वसूली नही हुई है।

उत्तर स्वत: ही स्वीकार्य है।

अत: पट्टाधारको द्वारा कस्त जमा न कये जाने से 148.16 लाख के राजस्व क्षति एवं जमा करने की ति थ तक का ब्याज हानि का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -32/2017-18

जिला खनन अ धकारी हरिद्वार

वर्ष 2016-17 मे न जमा कये गये रायल्टी का ववरण (निजी पट्टा धारक) (वर्षा ऋति माह 07/08 एवं 09 को छोड़कर)

क्रम सं0	पट्टेदार का नाम एवं पता	शासन से स्वीकृति की ति थ	पट्टा वलेख निष्पादन ति थ जिला धकारी के द्वारा	पट्टा अव ध	निर्धारित रायल्टी मा सक कस्त	जमा कश्तो की सं0	03/2017 तक कुल कश्त की सं0	03/2017 तक अवशेष रायल्टी	मा सक अ ग्रम /प्रतिभूति अ ग्रम
1	श्री सतनाग संह पुत्र श्री रणजीत संह देहरादून	23.05.15	06.10.15/08.10.15	5 वर्ष	64,93,500/ 719278	-	15	10789170 +ब्याज	**₹719278/1438556 मासिक अग्रिम + प्रतिभूति जमा है।**
2	श्री अरजिन्दर संह पुत्र श्री चन्दन संह ऋ षकेश देहरादून	15.05.15	05.10.15/ 05/10.15	5 वर्ष	1626000/180667	-	15	2710005+ ब्याज	**₹180667/362000 मासिक अग्रिम + प्रतिभूति जमा है।**
3	श्री ना सर अली पुत्र श्री मै0 उमर भगवानपुर हरिद्वार		12.10.15/28.11.15	5 वर्ष	1077300/119700	04	11	1316700+ ब्याज	**119700/239400 मासिक अग्रिम + प्रतिभूति जमा है।**
						04		14815875/- +ब्याज	

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : प्रथम लेखापरीक्षा

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
02/2016-17	01	03
लागू नहीं		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : विभाग द्वारा अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - व्यय नहीं किया जाता है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला खनन अधिकारी हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: 1. ईट एवं भट्टो से संबं धत पत्रावली
2. अवैध खनन एवं भण्डारण की पत्रावली

   सतत् अनियमितताएः

   टिप्पणी- चालान का उचित ढ़ग से रख-रखाव नही किया जाना

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री सुनील पवार	उपनिदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला खनन अधिकारी हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र